

न्यायालय जिला जज, कानपुर-देहात।
Misc. Civil Case No.-64/2025
न्यू लिटिल लाईट एजुकेशन सोसाईटी
बनाम
चन्द्र पाल सिंह आदि

21.08.2026

आज पत्रावली पेश हुई। बार बार पुकार कराए जाने पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि आवेदक विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहा है तथा पारित आदेश के अनुसार पैरवी भी नहीं की जा रही है।

अतः सिविल प्रकीर्ण वाद आवेदक की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत सिविल प्रकीर्ण वाद आवेदक की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

जिला जज,